न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, औरंगाबाद।
उपस्थित– श्रीमति दिव्या वशिष्ठ
सत्रवाद संख्या–14–ए/2012/476/2024
सरकार बनाम नागेश्वर सिंह

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, औरंगाबाद।
उपस्थित– श्रीमति दिव्या वशिष्ठ,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, औरंगाबाद।
दिनांक–29.04.2026
सत्रवाद संख्या– 14–ए/2012/476/2024
कुटुम्बा थाना कांड सं0–94/2010
सीआइएस–391/2016

अभियोजन	राज्य द्वारा कृत महतो सूचक
राज्य की ओर से	श्री धर्मराज शर्मा विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	1. नागेश्वर सिंह
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री अशोक कुमार गुप्ता

अपराध की तिथि	10-10-2010
प्राथमिकी की तिथि	11-10-2010
अंतिम प्रपत्र की तिथि	10-02-2016
आरोप गठन की तिथि	20-06-2017
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	12-07-2017
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	18-04-2026
निर्णय की तिथि	29-04-2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	–

अभियुक्त विवरणी

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप गठन की धारा	दोष मुक्ति/दोष सिद्धी	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गयी अवधि का धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत समायोजन
1.	नागेश्वर सिंह	05.01.2016	18.09.2017	147, 148, 302 323, 307, 504, and the 149 of the IPC and 27 Arms Act and17 CLA Act.	दोष मुक्त	नहीं	01 साल 08 महीना 13 दिन

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के गवाहों की सूची

क. अभियोजन गवाह,

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	रामलखन मेहता	पक्षद्रोही
2	शिव नारायण मेहता	पक्षद्रोही
3	सुरेश मेहता	पक्षद्रोही

दिव्या वशिष्ठ
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
औरंगाबाद

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	नहीं	नहीं

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	नहीं	नहीं

अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के प्रदर्श की सूची

क. अभियोजन प्रदर्श,

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	नहीं	नहीं

ख. बचाव पक्ष प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	नहीं	नहीं

ग. न्यायालय प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	नहीं	नहीं

घ. वस्तु प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	नहीं	नहीं

निर्णय

अभियोजन का वाद

1. प्रस्तुत वाद में वादी बृज महतो का फर्दबयान अ0नि0 राम सिद्धेश्वर आजाद, थानाध्यक्ष, कुटुंबा थाना के द्वारा दिनांक 11.10.2010 को प्रातः एक बजे रेफरल अस्पताल कुटुम्बा में दर्ज किया गया है।

   इस मामले में अभियोजन का संक्षिप्त वाद फर्दबयान के आधार पर यह है कि दिनांक 10.11.2010 को रात्रि 09:45 पर वादी कृत महतो, महुआधाम से अपने घर के लिए पैदल निकला। रात्रि 10:15 पर वादी जब अपने घर के नजदीक पहुंचा तो पीछे से कई आदमी उसे पकड़ लिये। करीब 15–20 व्यक्ति जिसमें से कुछ वर्दी पहने हुए थे एवं कुछ सादे कपड़े में थे। उनके हाथों में हथियार एवं बम था। उन व्यक्तियों ने वादी का नोकिया का मोबाईल, वोटर लिस्ट पहचान पत्र एवं 250 रूपये नगद छिन लिया गया। तत्पश्चात उक्त व्यक्ति सूचक के साथ मारपीट करने लगे।

हल्ला पर गांव के लोग एकत्रित हुए एवं भीड़ को देखकर उक्त व्यक्ति फायरिंग करने लगे एवं बोले कि वह माओवादी है। भीड़ को आक्रोशित देखकर उक्त व्यक्ति घटनास्थल छोड़कर चले गए।

2. सूचक कृत मेहता, पिता–खेलावन मेहता, ग्राम–बाजितपुर, थाना–कुटुम्बा, जिला–औरंगाबाद के

3. प्रस्तुत वाद में सूचक द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर टंडवा थाना कांड संख्या–94/2010 दिनांक–15.11.2010 को धारा 147, 148, 149, 323, 307, 302, 504, 506 भा0द0वि0 और 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ।

4. अनुसंधानक द्वारा अनुसंधानोपरांत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 147, 148, 149, 323, 307, 302, 504, 506 भा0द0वि0 और 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट के अंतर्गत अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया।

5. दिनांकः– 16.12.2011 को उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 147, 148, 149, 323, 307, 302, 504, भा0द0वि0 और 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट के अंतर्गत विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, के द्वारा संज्ञान लिया गया एवं दिनांक 25.05.2016 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा वाद दौरा सुपुर्द किया गया।

6. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–20.06.2017 को धारा– 147, 148, 302, 323, 307, 504, 149 भा0द0वि0 और 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट के अंतर्गत आरोप का गठन कर, आरोप हिन्दी में पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर इससे इंकार किया और विचारण की मांग की।

7. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त का बयान दिनांकः–17.04.2026 को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लिया गया, जिसमें उन्होने अपने आप को निर्दोष बताया।

मन्तव्य

8. प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से निम्नलिखित तीन मौखिक साक्षियों यथा :

अभियोजन साक्षी संख्या 1 रामलखन मेहता (पक्षद्रोही)
अभियोजन साक्षी संख्या 2 शिव नारायण मेहता (पक्षद्रोही)
अभियोजन साक्षी संख्या 3 सुरेश मेहता (पक्षद्रोही)

को प्रस्तुत किया गया है।

9. अभियोजन के द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

10. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया।

अपराध अंतर्गत धारा 147, 148, 302, 323, 307, 504, 149 भा0द0वि0 और 27 शस्त्र अधिनियम एवं 17 सीएल आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम

अभियोजन के द्वारा उक्त धाराओं में वाद को स्थापित करने के लिए तीन गवाहों को प्रस्तुत किया गया है परंतु तीनों ही गवाह घटना की जानकारी न होने का दावा करते हैं जिस कारण अभियोजन के द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया जाता है। अतः अभिलेख पर कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत वाद में उपरोक्त धाराओं में घटना कारित की गई है।

अतः अभियुक्त को उक्त धाराओं में दोषी नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः अभियुक्त– 1. नागेश्वर सिंह को धारा– 147, 148, 302, 323, 307, 504, 149 भा0द0वि0 और 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट में अपराध करने का दोषी न पाते हुए उन्हें उक्त धाराओं से बरी किया जाता है एवं वाद के सभी जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

(दिव्या वशिष्ठ)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ्
औरंगाबाद।

निर्णय आज खुले न्यायालय में लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

लेखापित

(दिव्या वशिष्ठ)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ्,
औरंगाबाद।

दिव्या वशिष्ठ
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
औरंगाबाद